क्रम संख्या–90 (क)

पंजीकृत संख्या–यू0ए0/डी0ओ0/डी0डी0एन0/30/2009–11

(लाइसेन्स टू पोस्ट विदाउट प्रीपेमेन्ट)

सरकारी गजट, उत्तराखण्ड

उत्तराखण्ड सरकार द्वारा प्रकाशित

असाधारण

विधायी परिशिष्ट

भाग–4, खण्ड (ख)

(परिनियत आदेश)

देहरादून, मंगलवार, 14 जून, 2011 ई0

ज्येष्ठ 24, 1933 शक सम्वत्

उत्तराखण्ड शासन

लोक निर्माण अनुभाग–1

संख्या 859/III(1)/10–64(अधि0)/06

देहरादून, 14 जून, 2011

अधिसूचना

प्रकीर्ण

प0 आ0–68

राज्यपाल, "भारत का संविधान" के अनुच्छेद 309 के परन्तुक द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करके और इस विषय में समस्त विद्यमान नियमों और आदेशों को अधिकमण करके, उत्तराखण्ड लोक निर्माण विभाग, भू–वैज्ञानिक (वैज्ञानिक शाखा) सेवा में भर्ती और उसमें नियुक्त व्यक्तियों की सेवा शर्तों को विनियमित करने के लिए निम्नलिखित नियमावली बनाते हैं :–

उत्तराखण्ड लोक निर्माण विभाग, भू–वैज्ञानिक (वैज्ञानिक शाखा) सेवा नियमावली, 2011

भाग–एक

सामान्य

संक्षिप्त नाम और प्रारम्भ

1. (1) इस नियमावली का संक्षिप्त नाम उत्तराखण्ड लोक निर्माण विभाग भू–वैज्ञानिक (वैज्ञानिक शाखा) सेवा नियमावली, 2011 है।

(2) यह तुरन्त प्रवृत्त होगी।

सेवा की प्रास्थिति 2. उत्तराखण्ड लोक निर्माण विभाग भू–वैज्ञानिक (वैज्ञानिक शाखा) सेवा एक राज्य सेवा है, जिसमें समूह 'क' और 'ख' के पद समाविष्ट है।

परिभाषाएं 3. जब तक विषय या सन्दर्भ में कोई प्रतिकूल बात न हो, इस नियमावली में:–

(क) **"नियुक्ति प्राधिकारी"** से उत्तराखण्ड के राज्यपाल अभिप्रेत है;

(ख) **"भारत का नागरिक"** से ऐसा व्यक्ति अभिप्रेत है, जो **"भारत का संविधान"** के भाग दो के अधीन भारत का नागरिक हो या समझा जाए;

(ग) **"आयोग"** से उत्तराखण्ड लोक सेवा आयोग अभिप्रेत है;

(घ) **"संविधान"** से "भारत का संविधान" अभिप्रेत है;

(ङ) **"विभाग"** से लोक निर्माण विभाग उत्तराखण्ड अभिप्रेत है;

(च) **"सरकार"** से उत्तराखण्ड राज्य सरकार अभिप्रेत है;

(छ) **"राज्यपाल"** से उत्तराखण्ड के राज्यपाल अभिप्रेत है;

(ज) **"सेवा का सदस्य"** से सेवा के संवर्ग मे किसी पद पर इस नियमावली या इस नियमावली के प्रारम्भ होने के पूर्व प्रवृत्त नियमों या आदेशों के अधीन मौलिक रूप से नियुक्त व्यक्ति अभिप्रेत है;

(झ) **"सेवा"** से उत्तराखण्ड लोक निर्माण विभाग भू–वैज्ञानिक (वैज्ञानिक शाखा) सेवा अभिप्रेत है;

(ण) **"मौलिक नियुक्ति"** से सेवा के संवर्ग में किसी पद पर ऐसी नियुक्ति अभिप्रेत है, जो तदर्थ नियुक्ति न हो और नियमों के अनुसार चयन के पश्चात् की गयी हो और यदि कोई नियम न हो तो सरकार द्वारा जारी किये गये कार्यपालक अनुदेशों द्वारा तत्समय विहित प्रकिया के अनुसार की गयी हो;

(ट) **"भर्ती का वर्ष"** से किसी कलैण्डर वर्ष की पहली जुलाई से प्रारम्भ होने वाली बारह मास की अवधि अभिप्रेत है।

भाग–दो

संवर्ग

सेवा का संवर्ग 4. (1) सेवा की सदस्य संख्या और उसमें प्रत्येक श्रेणी के पदों की संख्या उतनी होगी, जितनी सरकार द्वारा समय–समय पर अवधारित की जाए।

(2) जब तक कि उपनियम (1) के अधीन परिवर्तन करने के आदेश न दिये जाए, सेवा की सदस्य संख्या और उसमें प्रत्येक श्रेणी के पदों की संख्या उतनी होगी, जितनी **परिशिष्ट "क"** में दी गयी है।

परन्तु यह कि –

(क) नियुक्ति प्राधिकारी, किसी रिक्त पद को बिना भरे हुए छोड़ सकता है या आस्थगित रख सकता है, जिसमें कोई व्यक्ति प्रतिकर का हकदार न होगा;

(ख) राज्यपाल, ऐसे अतिरिक्त स्थायी या अस्थायी पदों का सृजन कर सकते है, जो वह उचित समझे।

भाग–तीन

भर्ती

भर्ती का स्रोत

5. (1) सेवा मे विभिन्न श्रेणी के पदों पर भर्ती निम्नलिखित स्रोतों से की जाएगी:–

(क) **सहायक भू–वैज्ञानिक** –(1) 100 प्रतिशत पद आयोग द्वारा आयोजित प्रतियोगिता परीक्षा के आधार पर सीधी भर्ती द्वारा;

(ख) **भू–वैज्ञानिक**–मौलिक रूप से नियुक्त ऐसे सहायक भू–वैज्ञानिकों में से जिन्होंनें भर्ती के वर्ष के प्रथम दिवस को इस रूप में न्यूनतम छः वर्ष की सेवा पूरी कर ली हो, अनुपयुक्त को अस्वीकार करते हुये ज्येष्ठता के आधार पर चयन समिति के माध्यम से, पदोन्नति द्वारा;

(ग) **वरिष्ठ भू–वैज्ञानिक** – मौलिक रूप से नियुक्त ऐसे भू–वैज्ञानिकों में से, जिन्होंने भर्ती के वर्ष के प्रथम दिवस को सहायक भू–वैज्ञानिक के पद पर इस रूप में न्यूनतम छः वर्ष की सेवा पूरी कर ली हो और विभाग में सहायक भू–वैज्ञानिक एवं भू–वैज्ञानिक के पद पर कुल पन्द्रह वर्ष की निरन्तर सेवा पूरी कर ली हो, श्रेष्ठता के आधार पर चयन समिति के माध्यम से, पदोन्नति द्वारा;

परन्तु यह कि यदि वरिष्ठ भू–वैज्ञानिक के पद पर पदोन्नति के लिये अपेक्षित अनुभव रखने वाले अधिकारी उपलब्ध न हों तो नियुक्ति प्राधिकारी पात्रता के क्षेत्र में न्यूनतम तीन वर्ष का अनुभव रखने वाले अधिकारियों को सम्मिलित करने के लिये नियमों को शिथिल कर सकती है।

आरक्षण

6. उत्तराखण्ड राज्य की अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों और अन्य श्रेणियों के अभ्यर्थियों के लिये आरक्षण भर्ती के समय प्रवृत्त सरकार के आदेशों के अनुसार होगा।

भाग–चार

अर्हताएं

राष्ट्रीयता

7. सेवा के किसी पद पर सीधी भर्ती के लिये यह आवश्यक है कि अभ्यर्थी:–

(क) भारत का नागरिक हो; या

(ख) तिब्बती शरणार्थी हो, जो भारत में स्थायी निवास के अभिप्राय से पहली जनवरी, 1962 के पूर्व भारत आया हो; या

(ग) भारतीय मूल का ऐसा व्यक्ति हो, जिसने भारत में स्थायी निवास के अभिप्राय से पाकिस्तान, वर्मा, श्रीलंका या किसी पूर्वी अफ्रीकी देष, केन्या, यूगाण्डा और यूनाइटेड रिपब्लिक आफ तन्जानिया (पूर्ववर्ती टांगानिका और जंजीवार) से प्रवर्जन किया हो;

परन्तु यह कि उपर्युक्त श्रेणी कि (ख) या (ग) के अभ्यर्थी को ऐसा व्यक्ति होना चाहिये, जिसके पक्ष में राज्य सरकार द्वारा पात्रता का प्रमाण पत्र जारी किया गया हो;

परन्तु यह और कि श्रेणी (ख) के अभ्यर्थी से यह भी अपेक्षा की जाएगी कि वह पुलिस उप–महानिरीक्षक, अभिसूचना शाखा, उत्तर प्रदेश से पात्रता का प्रमाण पत्र प्राप्त कर लें;

परन्तु यह भी कि यदि कोई अभ्यर्थी उपर्युक्त श्रेणी (ग) का हो तो पात्रता प्रमाण पत्र एक वर्ष से अधिक के लिये जारी नहीं किया जायगा और ऐसे अभ्यर्थी को एक वर्ष की अवधि के आगे सेवा में इस शर्त पर रहने दिया जायगा कि वह भारत की नागरिकता प्राप्त कर ले।

टिप्पणी: ऐसे अभ्यर्थी को जिसके मामले में पात्रता का प्रमाण पत्र आवश्यक हो, किन्तु न तो वह जारी किया गया हो और न देने से इन्कार किया गया हो, किसी परीक्षा या साक्षात्कार में सम्मिलित किया जा सकता है और उसे इस शर्त पर अनन्तिम रूप से नियुक्त भी किया जा सकता है कि आवश्यक प्रमाण पत्र उसके द्वारा प्राप्त कर लिया जाए या उसके पक्ष में जारी कर दिया जाए।

शैक्षिक अर्हताएं 8. सहायक भू–वैज्ञानिक के पद पर सीधी भर्ती के लिये अभ्यर्थी ने विधि द्वारा स्थापित किसी विश्वविद्यालय से भू–विज्ञान, जिसमें व्यावहारिक भू–विज्ञान सम्मिलित है, में परास्नातक उपाधि या सरकार द्वारा उसके समकक्ष मान्यता प्राप्त कोई उपाधि प्राप्त की हो।

अधिमानी अर्हताएं 9. ऐसे अभ्यर्थी को, जिसने –

(क) प्रादेशिक सेना में दो वर्ष की न्यूनतम अवधि तक सेवा की हो;

(ख) राष्ट्रीय कैडेट कोर का बी प्रमाण पत्र प्राप्त कर लिया हो; या

(ग) सहायक भू–विज्ञानिक के मामले में भू–विज्ञान, जिसमें व्यावहारिक भू–विज्ञान सम्मिलित है, में पी–एच0 डी0 प्राप्त कर ली हो या किसी सरकारी या अर्द्धसरकारी संगठन या संस्थान में भवनों और पुलों के नींव सम्बन्धी कार्यों का भू–विज्ञानी प्रयोगों का तीन वर्ष के शोध का अनुभव प्राप्त कर लिया हो; अन्य बातों के समान होने पर सीधी भर्ती के मामले में अधिमान दिया जाएगा।

आयु

10. सहायक भू–वैज्ञानिक के पद पर सीधी भर्ती के लिये अभ्यर्थी की आयु उस कलेन्डर वर्ष की पहली जुलाई को, जिसमें रिक्तियां आयोग द्वारा विज्ञापित की जाए इक्कीस वर्ष हो जानी चाहिए और पैंतीस वर्ष से अधिक नहीं होनी चाहिए;

परन्तु यह कि उत्तराखण्ड राज्य की अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों और ऐसे अन्य श्रेणियों, जो सरकार द्वारा समय–समय अधिसूचित की जाएं, अभ्यर्थियों के मामले में उच्चतर आयु सीमा उतने वर्ष अधिक होगी, जितनी विनिर्दिष्ट की जाए।

चरित्र

11. सेवा मे किसी पद पर सीधी भर्ती के लिये अभ्यर्थी का चरित्र ऐसा होना चाहिए कि वह सरकारी सेवा में सेवायोजन के लिए सभी प्रकार से उपयुक्त हो सके। नियुक्ति प्राधिकारी इस सम्बन्ध में अपना समाधान कर लेगा।

टिप्पणी– संघ सरकार या किसी राज्य सरकार या किसी स्थानीय प्राधिकारी द्वारा या संघ सरकार या किसी राज्य सरकार के स्वामित्वाधीन या नियंत्रणाधीन किसी निगम या निकाय द्वारा पदच्युत व्यक्ति सेवा में किसी पद पर नियुक्ति के लिए पात्र नहीं होगें। नैतिक अधमता के किसी अपराध के लिए दोष सिद्ध व्यक्ति भी पात्र नहीं होगें।

वैवाहिक प्रास्थिति

12. सेवा में नियुक्ति के लिए ऐसा पुरूष अभ्यर्थी पात्र न होगा, जिसकी एक से अधिक पत्नियाँ जीवित हो या ऐसी महिला अभ्यर्थी पात्र न होगी, जिसने ऐसे पुरूष से विवाह किया हो, जिसकी पहले से एक पत्नी जीवित हो;

परन्तु यह कि राज्यपाल किसी व्यक्ति को इस नियम के प्रवर्तन से छूट दे सकते है, यदि उनका समाधान हो जाए कि ऐसा करने के लिए विशेष कारण विद्यमान है।

शारीरिक स्वस्थता

13. किसी अभ्यर्थी को सेवा में किसी पद पर तब तक नियुक्त नहीं किया जाएगा, जब तक कि मानसिक और शारीरिक दृष्टि से उसका स्वास्थ्य अच्छा न हो और वह किसी ऐसे शारीरिक दोष से मुक्त न हो, जिससे उसे अपने कर्तव्यों का दक्षतापूर्वक पालन करने में बाधा पडने की सम्भावना हो।

किसी अभ्यर्थी को सीधी भर्ती द्वारा नियुक्ति के लिए अन्तिम रूप से अनुमोदित किये जाने के पूर्व उससे यह अपेक्षा की जायेगी कि वह वित्त हस्तपुस्तिका, खण्ड–दो, भाग–तीन के अध्याय–तीन में मूल नियम 10 के अधीन बनाये गये नियमों के अनुसार चिकित्सा परिषद् की परीक्षा उत्तीर्ण करे;

परन्तु यह कि पदोन्नति द्वारा भर्ती किये गये अभ्यर्थी से चिकित्सा परिषद् की परीक्षा की अपेक्षा नहीं की जाएगी।

भाग–पाँच

भर्ती की प्रकिया

रिक्तियों का अवधारण

14. नियुक्ति प्राधिकारी वर्ष के दौरान भरी जाने वाली रिक्तियों की संख्या और नियम 6 के अधीन उत्तराखण्ड राज्य की अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों और अन्य श्रेणियों के अभ्यर्थी के लिए आरक्षित की जाने वाली रिक्तियों की संख्या भी अवधारित करेगा और उसकी सूचना आयोग को देगा।

सहायक भू–वैज्ञानिक के पद पर सीधी भर्ती के लिए प्रकिया

15. (1) प्रतियोगिता परीक्षा में सम्मिलित होने की अनुमति के लिए आयोग विहित प्रपत्र में आवेदन पत्र मंगायेगा। आवेदन पत्र भुगतान कर आयोग के सचिव से प्राप्त किये जा सकते हैं।

(2) किसी अभ्यर्थी को परीक्षा में तब तक सम्मिलित नहीं किया जाएगा जब तक कि उसके पास आयोग द्वारा जारी किया गया प्रवेश प्रमाण पत्र न हो।

(3) आयोग लिखित परीक्षा का परिणाम प्राप्त होने और सारणीबद्ध कर लिए जाने के पश्चात् नियम 6 के अधीन उत्तराखण्ड राज्य की अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों और अन्य अभ्यर्थियों का सम्यक प्रतिनिधित्व सुनिश्चित करने की आवश्यकता को ध्यान में रखते हुये लिखित परीक्षा के परिणाम के आधार पर ऐसे अभ्यर्थियों को साक्षात्कार के लिए बुलायेगा, जिन्होंने आयोग द्वारा नियत मानक के अनुसार अंक प्राप्त किये हों। साक्षात्कार में प्रत्येक अभ्यर्थी को दिए गये अंक लिखित परीक्षा में उनके द्वारा प्राप्त किये गये, अंको में जोड़ दिये जाएंगे।

(4) आयोग अभ्यर्थियों की प्रवीणता के क्रम में, जैसा कि लिखित परीक्षा और साक्षात्कार में प्रत्येक अभ्यर्थी द्वारा प्राप्त किये गये अंको के कुल योग से प्रकट है, एक सूची तैयार करेगा और उतनी संख्या में अभ्यर्थियों की सिफारिश करेगा, जितनी वह नियुक्ति के लिए उचित समझे। यदि दो या अधिक अभ्यर्थी बराबर–बराबर कुल अंक प्राप्त करें तो लिखित परीक्षा में अपेक्षाकृत अधिक अंक प्राप्त करने वाले अभ्यर्थी का नाम सूची में उच्चतर स्थान पर रखा जाएगा। सूची में नामों की संख्या, रिक्तियों की संख्या से अधिक (किन्तु 25 प्रतिशत से अनाधिक) होगी। आयोग, सूची नियुक्त प्राधिकारी को अग्रसारित कर देगा;

परन्तु यह कि आयोग आवेदन पत्रों की संख्या को दृष्टिगत रखते हुए साक्षात्कार के माध्यम से भी चयन कार्यवाही सम्पादित कर सकता है।

विभागीय पदोन्नति द्वारा भर्ती की प्रक्रिया

16. (1) वरिष्ठ भू–वैज्ञानिक एवं भू–वैज्ञानिक के पदों पर पदोन्नति द्वारा भर्ती समय–समय पर यथा संशोधित उत्तराखण्ड विभागीय पदोन्नति समिति का गठन (लोक सेवा आयोग की परिधि के बाहर के पदों के लिए) नियमावली, 2002 के उपबन्धों के अनुसार गठित चयन समिति के माध्यम से दिये गये मानदण्ड के आधार पर की जायेगी;

परन्तु यह कि यदि इस प्रकार गठित चयन समिति में अनसूचित जातियों/अनुसूचित जनजातियों और अन्य पिछडे वर्गों में से प्रत्येक से सम्बन्धित व्यक्ति सम्मिलित नहीं है तो ऐसी जातियों/जनजातियों और वर्गों, जिसका चयन समिति में प्रतिनिधित्व नहीं है, से सम्बन्धित कोई अधिकारी, जो राज्य सरकार के संयुक्त सचिव से निम्न स्तर का न हो चयन समिति के सदस्य के रूप में भाग लेना, निर्दिष्ट किया जायेगा। उक्त पदों पर पदोन्नति हेतु उत्तराखण्ड (लोक सेवा आयोग की परिधि के बाहर) राज्यधीन सेवाओं में अनुपयुक्त को अस्वीकार करते हुये ज्येष्ठता एवं श्रेष्ठता के आधार पर पदोन्नति द्वारा किये जाने वाले चयनों में अपनाई जाने वाली प्रक्रिया नियमावली, 2009 के प्राविधान लागू होंगे।

(2) नियुक्ति प्राधिकारी पात्र अभ्यर्थियों की पात्रता सूची तैयार करेगा और उसे उनकी चरित्र पंजिका और उनसे संबंधित ऐसे अन्य अभिलेखों के साथ, जो उचित समझे जायें, चयन समिति के समक्ष रखेगा।

परन्तु यह कि इस उपनियम के अधीन पात्रता सूची तैयार करते समय, जहाँ, जो भिन्न–भिन्न पोषक संवर्ग हो, वहाँ :–

(क) भिन्न–भिन्न वेतनमान की स्थिति में उच्चतर वेतनमान वाले संवर्ग के अभ्यर्थियों को पात्रता सूची में उच्चतर स्थान पर रखा जायगा;

(ख) समान वेतनमान की स्थिति में अभ्यर्थियों के नाम उनके अपने–अपने संवर्ग में उनकी मौलिक नियुक्ति के दिनाँक के क्रम में पात्रता सूची में रखे जायेगें।

(3) चयन समिति उपनियम (2) में निर्दिष्ट अभिलेखों के आधार पर अभ्यर्थियों के नामों पर विचार करेगी और यदि वह आवश्यक समझे तो वह अभ्यर्थियों का साक्षात्कार भीं कर सकती है।

(4) चयन समिति चयनित अभ्यर्थियों की एक सूची भर्ती के समय प्रवृत्त सरकार के आदेशों में दी गई प्रकिया के अनुसार तैयार करेगी और उसे नियुक्ति प्राधिकारी को अग्रसारित करेंगी।

भाग–छः

नियुक्ति, परिवीक्षा, स्थायीकरण और ज्येष्ठता

नियुक्ति

17. (1) उपनियम (2) के उपबन्धों के अधीन रहते हुए, नियुक्ति प्राधिकारी अभ्यर्थियों की नियुक्तियाँ उसी कम में करेगा, जिसमें उनके नाम यथास्थिति नियम 14, 15 और 16 के अधीन तैयार की गयी सूचियों में आये हों।

(2) जहाँ भर्ती के किसी वर्ष में नियुक्तियाँ सीधी भर्ती और पदोन्नति दोनो प्रकार से की जानी हो, वहाँ नियमित नियुक्तियाँ तब तक नहीं की जायेगी जब तक कि दोनो स्रोतों से चयन न कर लिया जाये और उपनियम (3) के अनुसार एक संयुक्त सूची तैयार न कर ली जाये।

(3) यदि किसी एक चयन के संबंध में नियुक्ति के एक से अधिक आदेश जारी किए जाँय तो एक संयुक्त आदेश भी जारी किया जायेगा, जिसमें व्यक्तियों के नामों का उल्लेख, यथास्थिति चयन में यथा अवधारित या उस संवर्ग में, जिससे उन्हें पदोन्नत किया जाए, विद्यमान ज्येष्ठता कम में किया जाएगा। यदि नियुक्तियाँ सीधी भर्ती और पदोन्नति दोनों प्रकार से की जाये तो नाम नियम 16 में निर्दिष्ट कम के अनुसार रखे जायेगें।

परिवीक्षा

18. (1) सेवा में किसी पद पर मौलिक रूप में नियुक्त व्यक्ति को दो वर्ष की अवधि के लिए परिवीक्षा पर रखा जाएगा।

(2) नियुक्ति प्राधिकारी ऐसे कारणों से, जो अभिलिखित किये जायेगें, अलग–अलग मामलों में परीवीक्षा अवधि को बढा सकता है, जिसमें ऐसा दिनाँक विनिर्दिष्ट किया जायेगा, जब तक अवधि बढायी जाए;

परन्तु यह कि आपवादिक परिस्थितियों के सिवाय, परिवीक्षा अवधि एक वर्ष से अधिक और किसी भी परिस्थिति में दो वर्ष से अधिक नहीं बढायी जाएगी।

(3) यदि परिवीक्षा अवधि या बढायी गयी परिवीक्षा अवधि के दौरान किसी भी समय या उसके अन्त में नियुक्ति प्राधिकारी को यह प्रतीत हो कि परिवीक्षाधीन व्यक्ति ने अपने अवसरों का पर्याप्त उपयोग नहीं किया है या संतोष प्रदान करने में अन्यथा विफल रहा है तो उसे उसके मौलिक पद पर, यदि कोई हो, प्रत्यावर्तित किया जा सकता है और यदि उसका किसी पद पर धारणाधिकार न हो तो उसकी सेवाएं समाप्त की जा सकती है।

(4) उपनियम (3) के अधीन, जिस परिवीक्षाधीन व्यक्ति को प्रत्यावर्तित किया जाए या जिसकी सेवाएं समाप्त की जायं, वह किसी प्रतिकर का हकदार नहीं होगा।

(5) नियुक्ति प्राधिकारी संवर्ग में सम्मिलित किसी पद पर या किसी अन्य समकक्ष या उच्चतर पद पर की गयी निरन्तर सेवा को परिवीक्षा अवधि की संगणना करने के प्रयोजन के लिये गिने जाने की अनुमति दे सकता है।

स्थायीकरण

19. (1) उपनियम (2) के उपबन्धों के अधीन रहते हुये किसी परिवीक्षाधीन व्यक्ति को परिवीक्षा अवधि के अन्त में उसकी नियुक्ति में स्थायी कर दिया जाएगा, यदि–

(क) उसका कार्य और आचरण संतोषजनक बताया जाए;

(ख) उसकी सत्यनिष्ठा प्रमाणित कर दी जाए; और

(ग) नियुक्ति प्राधिकारी का यह समाधान हो जाए कि वह स्थायीकरण के लिये अन्यथा उपयुक्त है।

(2) जहाँ उत्तराखण्ड़ राज्य के सरकारी सेवकों की स्थायीकरण नियमावली, 2002 के उपबन्धों के अनुसार स्थायीकरण आवश्यक न हो या वहां उस नियमावली के नियम 5 के उपनियम (3) के अधीन यह घोषणा करते हुए आदेश कि संबंधित व्यक्ति ने परिवीक्षा सफतापूर्वक पूरी कर ली है, स्थायीकरण का आदेश समझा जाएगा।

ज्येष्ठता

20. किसी भी श्रेणी के पदों में मौलिक रूप से नियुक्त व्यक्तियों की ज्येष्ठता समय–समय पर यथा संशोधित उत्तराखण्ड़ सरकारी सेवक ज्येष्ठता नियमावली, 2002 के अनुसार अवधारित की जाएगी।

भाग–सात

वेतन

वेतन

21. (1) सेवा में विभिन्न श्रेणियों के पदों पर नियुक्त व्यक्तियों का अनुमन्य वेतनमान ऐसा होगा, जैसा सरकार द्वारा समय–समय पर अवधारित किया जाए।

(2) इस नियमावली के प्रारम्भ के समय प्रवृत्त वेतनमान परिशिष्ट "ख" में दिये गये हैं।

परिवीक्षा अवधि में वेतन

22. (1) मूल नियमों में किसी प्रतिकूल उपबन्ध के होते हुए भी, परिवीक्षाधीन व्यक्ति को, यदि वह पहले से स्थायी सरकारी सेवा में न हो, समयमान में उसकी प्रथम वेतन वृद्वि तभी दी जायेगी जब उसने एक वर्ष की संतोषजनक सेवा पूरी कर ली हो और द्वितीय वेतन वृद्वि दो वर्ष की सेवा के पश्चात् तभी दी जायेगी, जब उसने परिवीक्षा अवधि पूरी कर ली हो और उसे स्थायी भी कर दिया गया हो;

परन्तु यह कि यदि संतोष प्रदान न कर सकने के कारण परिवीक्षा अवधि बढायी जाए तो इस प्रकार बढायी गयी अवधि की गणना वेतन वृद्धि के लिए नहीं की जाएगी जब तक कि नियुक्ति प्राधिकारी अन्यथा निर्देश न दे।

(2) ऐसे व्यक्ति का, जो पहले से सरकार के अधीन कोई पद धारण कर रहा हो, परिवीक्षा अवधि में वेतन सुसंगत मूल नियमों द्वारा विनियमित होगा;

परन्तु यह कि यदि संतोष प्रदान न कर करने के कारण परिवीक्षा अवधि बढायी जाए तो इस प्रकार बढायी गयी अवधि की गणना वेतन वृद्धि के लिए नहीं की जाएगी जब तक कि नियुक्ति प्राधिकारी अन्यथा निर्देश न दे।

(3) ऐसे व्यक्ति का, जो पहले से स्थायी सरकारी सेवा में हो, परिवीक्षा अवधि में वेतन राज्य के कार्य–कलापों के संबंध में सेवारत् सरकारी सेवकों पर सामान्यतया लागू सुसंगत नियमों द्वारा विनियमित होगा।

भाग–आठ

अन्य उपबन्ध

पक्ष समर्थन

23. किसी पद पर या सेवा में लागू नियमों के अधीन सिफारिश से भिन्न किसी अन्य सिफारिश पर, चाहे लिखित हो या मौखिक, विचार नहीं किया जाएगा। अभ्यर्थी की ओर से अपनी अभ्यर्थिता के लिये प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से समर्थन प्राप्त करने का कोई प्रमाण उसे नियुक्ति के लिये अनर्ह कर देगा।

अन्य विषयों पर विनियमन

24. ऐसे विषयों के संबंध में, जो विनिर्दिष्ट रूप से इस नियमावली या विशेष आदेशों के अर्न्तगत न आते हो, सेवा में नियुक्त व्यक्ति राज्य के कार्य–कलापों के संबंध में सेवारत् सरकारी सेवकों पर सामान्यतया लागू नियमों, विनियमों और आदेशों द्वारा नियंत्रित होगें।

सेवा की शर्तो में शिथिलता

25. जहाँ राज्य सरकार का यह समाधान हो जाए कि सेवा में नियुक्त व्यक्तियों की सेवा की शर्तों को विनियमित करने वाले किसी नियम के प्रवर्तन से किसी विशिष्ट मामलें में अनुचित कठिनाई होती है, वहाँ वह उस मामले में लागू नियमों में, किसी बात के होते हुए भी, आदेश द्वारा, उस नियम की अपेक्षाओं को उस सीमा तक और ऐसी शर्तों के अधीन रहते हुए, जिन्हें मामले में न्यायसंगत और साम्यपूर्ण रीति से कार्यवाही करने के लिए आवश्यक समझे, अभिमुक्त या शिथिल कर सकती है;

परन्तु यह कि जहां कोई नियम आयोग के परामर्श से बनाया गया हो, वहां उस नियम की अपेक्षाओं को शिथिल करने या अभिमुक्त करने के पूर्व आयोग से परामर्श किया जाएगा।

व्यावृत्ति 26. इस नियमावली की किसी बात का कोई प्रभाव ऐसे आरक्षण और अन्य रियायतों पर नहीं पड़ेगा। जिनका इस सम्बन्ध में सरकार द्वारा समय–समय पर जारी किये गये आदेशों के अनुसार उत्तराखण्ड राज्य की अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों और व्यक्तियों की अन्य विशेष श्रेणियों के अभ्यर्थियों के लिये उपलब्ध किया जाना अपेक्षित हो।

परिशिष्ट "क"

{देखिये नियम 4 (2)}

सेवा की संवर्ग सदस्य संख्या

कम संख्या	पद का नाम	पदों की संख्या
1.	वरिष्ठ भू– वैज्ञानिक	01
2.	भू–वैज्ञानिक	02
3.	सहायक भू–वैज्ञानिक	04

परिशिष्ट "ख"

{देखिए नियम 21 का उपनियम (2)}

वेतनमान

क्र0सं0	पद का नाम	पदों की संख्या	वेतनमान	पुनरीक्षित वेतनमान	
1	2	3	4		5
1.	वरिष्ठ भू– वैज्ञानिक	01	12000–375–16500	PB-3	रू0 15600–39100 ग्रेड–पे – 7600
2.	भू–वैज्ञानिक	02	10000–325–15200	PB-3	रू0 15600–39100 ग्रेड–पे – 6600
3.	सहायक भू–वैज्ञानिक	04	8000–275–13500	PB-3	रू0 15600–39100 ग्रेड–पे – 5400

आज्ञा से,

उत्पल कुमार सिंह,
प्रमुख सचिव।

In pursuance of the provisions of Clause (3) of Article 348 of "the Constitution of India", the Governor is pleased to order the publication of the following English translation of notification no. 859/ III(1)/10-64(Establishment.)/06, Dehradun, Dated June 14, 2011 for general information :

No. 859/III(1)/10-64 (Establishment)/06
Dated Dehradun, June 14, 2011

NOTIFICATION

Miscellaneous

In exercise of the powers conferred by the proviso to Article 309 of **"the Constitution of India"** and in the superannuation of all existing rules and orders on the subject, the Governor is pleased to make the following rules regulating recruitment and the condition of service of persons appointed to the Uttarakhand Public Works Department Geologists (Scientific Branch) service

The Uttarakhand Public Works Department Geologist (Scientific Branch) Service Rules, 2011

Part-1
General

Short Title and Commencement

1. (1) These rules shall be called the Uttarakhand Public Works Department Geologist (Scientific Branch) Service Rules, 2011.

(2) These rules shall come into force with immediate effect.

Status of the service

2. Uttarakhand Public Works Department Geologist (Scientific Branch) is a such service of State comprises of Group 'A and B" posts..

Definitions

3. In these rules unless there is anything repugnant in the subject or context-

(a) **"Appointing Authority"** means the Governor of Uttarakhand;

(b) **"Citizen of India"** means a person who is or deemed to be a Citizen of India under part-II of **"the Constitution of India"**;

(c) **"Commission"** means the Uttarakhand Public Service Commission;

(d) **"Constitution"** means **"the Constitution of India"**;

(e) **"Department"** means Uttarakhand Public Works Department;

(f) **"Government"** means the State Government of Uttarakhand;

(g) **"Governor"** means the Governor of Uttarakhand;

(h) **"Member of Service"** means a person appointed under these rules or orders in force prior to the commencement of these rules to a substantive post in the establishment;

(i) **"Service"** means Uttarakhand Public Works Department (Scientific Branch) Service;

(j) **"Substantive Appointment"** means an appointment on a post in the service and which is not an ad-hoc appointment and is made in accordance with the rules and if there are no rules, in accordance with the procedure prescribed for the time being by executive instructions issued by the Government;

(k) **"Year of Recruitment"** means a period of twelve months commencing from the 1st day of July of calendar year.

Part – 2

Cadre

Cadre of Service

4. (1) The strength of the service of each category of posts there in shall be such as may be determined by the Government from time to time.

(2) The strength of the service shall until orders varying the same are passed under sub-rule (1) be as given in the appendix "A".

Provided that-

(a) the appointing authority may leave unfilled or may hold in abeyance any vacant post, without there by entitling any person to compensation.

(b) the Governor may create such additional permanent or temporary posts as he may consider proper.

Part – 3

Recruitment

Source of Recruitment

5. (1) Recruitment to the various categorizes of posts in the service shall be made from the following sources :–

(a) **Assistant Geologist** – 100 percent by direct recruitment through competitive examination conducted by the Commission.

(b) **Geologist-** by promotion through the Selection Committee from amongst substantively appointed such Assistant Geologists, who have completed at least six years of service, as such on the first day of the year of recruitment;

(c) **Senior Geologist-** by promotion through the Selection Committee from amongst substantively appointed such Assistant Geologists, who have completed at least six years of service as such on the first day of the year of recruitment and have completed continuous total fifteen years service on the post of Assistant Geologist and Geologist in the department;

Provided that for the post of Senior Geologist, if required experience holder officers are not available, then the Appointing Authority may relax the rules for extend the field of eligibility for such officers, who have obtained atleast three years experience.

Reservation

6. Reservation for the candidates belonging to the Schedule Castes, Schedule Tribes and other categories to the State of Uttarakhand shall be in accordance with the orders of the Government in force at the time of recruitment.

Part -4

Qualification

Nationality

7. A candidate for direct recruitment to a post in the service must be:-

(a) a citizen of India; or

(b) the Tibetan refugee who came to India before Jan 1st 1962 with the intention of permanently settling in India; or

(c) a person of Indian origin who has migrated from Pakistan, Burma, Sri Lanka or any of the East African Countries of Kenya, Yuganda and united Republic Tanzania (formerly Tanganyika and Zanzibar) with the intention of permanently settling in India;

Provided that a candidate belonging to category (b) and (c) above must be a person in whose favour a certificate of the eligibility has been issued by the State Government;

Provided further that a candidate belonging to category (b) will be required to obtain a certificate of eligibility granted by Deputy Inspector General of Police, Intelligence Branch Uttarakhand;

Provided also that if candidate belongs to category (c) no certificate of eligibility will be issued for a period of more than one year and retention of such candidate in service beyond the period of one year shall be subject to his acquiring Indian Citizenship.

Note :- A candidate in whose case a certificate of eligibility is necessary but the same has neither been issued nor refused may be admitted to an examination or interview and he may also provisionally appointed, subject to the necessary certificate being obtained by him or issued in his favour.

Academic Qualification

8. A candidate for direct recruitment to the post of Assistant Geologist possess post graduate Degree in Geological Science which includes applied aspect of Geology, from a University established by law, or a degree recognized by the Government as equivalent thereto.

Preferential qualification

9. A candidate, who has--

(a) served in the territorial service for a minimum period of two years.

(b) obtained a "B" certificate in National Cadet Corps.

(c) in case of Assistant Geologist, such candidate who has obtained Ph.D. in Geo-science, including applied aspect, or who has three years experience of studies related to foundations of building and bridges in any Government and Semi-Government organization be given preference in the matter of direct recruitment shall other things being equal.

Age

10. A candidate for direct recruitment to post of Assistant Geologist must have obtained twenty one years and must not have attained the age of more than thirty five years on the 1st day of July of the calendar year in which vacancies for direct recruitment are advertised by the Commission.

Provided that the upper age limit in the case of candidates belonging to the Scheduled Castes, Scheduled Tribes and such other categories to the State of Uttarakhand, as may be notified by the Government from time to time, shall be more by such number of years as may be specified.

Character **11.** The character of a candidate for direct recruitment to a post in the service must be such as to render him suitable in all respects for employment in Government service. The appointing authority shall satisfy him on this point.

Note- Persons dismissed by the Union Government or any State Government or by a local authority or any corporation or organization or body owned or controlled by the Union Government or a State Government shall be ineligible for appointment to any post in the service. Persons convicted of an offence involving moral turpitude shall also be ineligible.

Marital Status **12.** A male candidate, who have more than one living wife or female candidate, who has married a men already having a living wife, shall not be eligible for appointment in the service;

Provided that the Governor may, if satisfied that there exists a specific ground for doing so, exempt any person from the operation of this rule.

Physical Fitness **13.** No candidates shall be appointed to a post in the service unless he is in good mental and physical health and free from any physical defect likely to interfere with efficient performance of his duties. Before a candidate is finally approved for appointment, he shall be required to pass an examination by a Medical Board, as per provision of rules framed under the fundamental rule 10 of financial Hand Book Volume – II, part -III, Chapter –III

Provided that the medical certificate of fitness shall not be required from a candidate recruited by promotion.

Part – 5

Procedure For Recruitment

Determination of vacancies **14.** The appointing authority shall determine the number of vacancies to be filled in by direct recruitment during the year and also the

number of vacancies to be reserved for candidates belonging to Scheduled Castes, Scheduled Tribes and the other categories to the State of Uttarakhand under rule 6 and shall be intimated to the Commission.

Procedure for direct recruitment to the post of Assistant Geologist

15. (1) The Commission shall call application for permission to appear in the competitive examination in the prescribed Performa. Application forms may be obtained on payment from the Secretary of the Commission.

(2) No candidate shall be permitted to the examination unless he holds a certificate of admission issued by the Commission.

(3) After the result of written examination have been received and tabulated, under rule 6 to ensure proper representation of the candidates belonging to the Scheduled Castes, Scheduled Tribes and other candidates to the State of Uttarakhand, the Commission shall summon for interview such candidates on the basis of the result of the written examination, who have secured marks as per the standard fixed by the Commission. The marks awarded to each candidate in the interview shall be added to the marks obtained by him in the written examination.

(4) The Commission shall prepare a list of candidates in order of their proficiency as disclosed by the aggregate of marks obtained by each candidate in the written examination and interview and recommend such number of candidates as they consider fit for appointment. If two or more candidates obtain equal marks in the aggregate, the name of candidate who obtains higher marks in the written examination shall be placed higher in the list. The number of names in the list shall be greater (but not less than 25%) than the number of vacancies. The Commission shall forward the list to the Appointing Authority;

Provided that in view of number of applications the Commission may be conducted selection procedure through interview.

Procedure for recruitment by Departmental Promotion

16. (1) Recruitment by promotion on the post of Senior Geologist and Geologist shall be made by the selection committee constituted as per the provisions of the Uttarakhand Constitution of the Departmental Promotion Committee (for the Posts Outside the Purview of the Public Services Commission) Rules, 2002, as amended from time to time, on basis of the prescribed standard;

Provided that if in the selection committee so constituted, no person is included from the Scheduled Castes/ Scheduled Tribes and Other Backward Classes, then such Castes/ Tribes and Classes, whose representation. is not there in the selection committee, any officer of the State Government related to them, who is not below the rank of the Joint secretary, shall be directed to participate in the selection committee as member. For promotion on the above posts, in the State Service procedure of promotion in selection on basis of seniority and merit, rejecting the unfit, provisions of the Uttarakhand (Outside the Purview of the Public Service Commission) Rules, 2009 shall apply.

(2) Appointing Authority shall prepare the list of the eligible candidates and place it before the selection committee along with their character rolls and such other records pertaining to them as may be considered proper;

Provided that while preparing eligibility list under this sub-rule, where there are different feeding cadre, there :--

(a) in case of different pay scale cadres, candidates of higher pay scale cadre shall be placed at a higher place in the eligibility list;

(b) in case of equal pay scales, candidate's names will be placed in the eligibility list in order of their date of substantive appointment in their cadre.

(3) Selection Committee will consider the names of the candidates on basis of the records referred to in sub-rule (2) and if it considers necessary, it may interview the candidates also.

(4) Selection Committee will prepare the list of the selected candidates as per the procedure laid down in the orders of the Government, relevant at the time of recruitment and forward it to the appointing authority.

Part-6

Appointment, Probation, Confirmation and Seniority

Appointment

17. (1) Subject to the provisions of sub-rule (2), the appointing authority shall make appointment by taking the names of candidates in the order in which they stand in the lists prepared under rules 14, 15 or 16, as the case may be.

(2) Where in any year of recruitment, appointments are to be made both by direct recruitment and by promotion, regular appointment shall not be made unless selection are made from both the sources and combined list is prepared in accordance with sub-rule (3).

(3) If more than one order of appointment is issued in respect of any one selection, a combined order shall also be issued, maintaining the names of the promotions in order of seniority as determined in the selection or as the case may be, as it stood in the cadre from which they are promoted. If the appointment is made both by direct recruitment and by promotion, names shall be arranged in the order as mentioned in rule 16.

Probation

18. (1) A person substantively appointed to a post in the service shall be placed on probation for a period of two years.

(2) The appointing authority may, for reasons to be recorded, extend the period of probation in individual cases specifying the date up to which it is extended;

Provided that except in exceptional circumstances the period of probation shall not be extended beyond one year, and in no circumstances beyond two years,

(3) If it appears to the appointing authority at any time during or at the end of the period of probation or extended period of probation that a probationer has not made sufficient use of his opportunities or has otherwise failed to give satisfaction, he may be reverted to his substantive post, if any, and if he does not hold a lien on any post, his services be dispensed with.

(4) A probationer person, who is reverted or whose services are dispensed with under sub-rule (3) shall not be entitled to any compensation.

(5) The appointing authority may allow continuous service rendered in a post included in the cadre or any other equivalent or higher post to be taken into account for purpose of computing the period of probation.

Confirmation

19. (1) Subject to the provision of sub-rule (2) a probationer shall be confirmed in his appointment at the end of his period of probation, if :-

(a) His work and conduct is reported to be satisfactory;

(b) His integrity is certified; and

(c) The appointing authority is satisfied that he is otherwise fit to be confirmed.

(2) Where in accordance with the provisions of the Uttarakhand State Government Servants Confirmation Rules, 2002, the confirmation is not necessary, the order under sub-rule (3) of rule (5) of those rules declaring that the person concerned has successfully completed the probation, shall be deemed to be the order of confirmation.

Seniority

20. In any class of posts the seniority of persons substantively appointed to the post shall be determined in accordance with the Government Servants Seniority Rules, 2002 as amended from time to time.

Part - 7

Pay

Pay

21. (1) The scales of pay admissible to persons appointed in different classes to the post in the service shall be such as may be determined by the Government from time to time.

(2) The scales of pay at the time of commencement of these rules are given as **Appendix "B".**

Pay in Probation Period

22. (1) Notwithstanding any provision in the fundamental Rule to the contrary, a person on probation, if he is not already in permanent Government service, shall be allowed his first increment in the time scale when he has completed one year of satisfactory service and second increment after two years of service when he has completed the probationary period and he has been confirmed;

Provided that if the period of probation is extended on account of failure to give satisfaction, such extension shall not count for increment unless the appointing authority directs otherwise.

(2) The pay during probation of persons, who has already holding a post under the Government, shall be regulated by the relevant fundamental rules;

Provided that if the period of probation is extended on account of failure to give satisfaction, such extension shall not count for increment unless the appointing authority directs otherwise.

(3) The pay during probation of a person already in permanent Government service shall be regulated by the relevant rules, applicable to the Government servant generally serving in connection with the affairs of the State.

Part- 8

Other Provisions

Canvassing

23. No recommendation, either written or oral other than those required under the rules applicable to the post or service, will be taken into consideration. Any attempt on the part of a candidate to enlist support directly or indirectly for his candidature will disqualify him for appointment.

Regulation of Other Matters

24. In regard to matters not specifically covered by these rules or special orders, persons appointed to the service shall be governed by the rules, regulations and others applicable generally to Government servants, serving in connection with the affairs of the State.

Relaxation in the Conditions of Services

25. Where the State Government is satisfied that the operation of any rule regulating the conditions of service of persons appointed to the service cause undue hardship in any particular case, it may not withstanding any thing contained in the rules applicable to the case, by order, dispense with or relax the requirements of that rule to such extent and subject to such conditions as it may consider necessary for dealing with the case in a just and equitable manner;

Provided that where rule has been framed in consultation with the Commission, that body shall be consulted before the rule is dispensed with or relaxed.

Saving

26. Nothing in these rules shall affect reservations and other concessions required to be provided for the candidates belonging to the Scheduled Castes, Scheduled Tribes and other special categories of persons to the State of Uttarakhand in accordance with the orders of the Government issued from time to time in this regard.

Appendix "A"

[See Rule 4 (2)]

Cadre strength of the service

S. No.	Designation	Number of Posts
1	Senior Geologist	01
2	Geologist	02
3	Assistant Geologist	04

Appendix "B"

[See sub-rule (2) of rule 21]

Pay-Scale

S.N.	Designation	Number of Posts	Pay scales	Revised pay scales	
1	2	3	4		5
1.	Senior Geologist	01	12000-375-16500	PB-3	Rs.15600-39100 Grade pay -7600
2.	Geologist	02	10000-325-15200	PB-3	Rs.15600-39100 Grade pay -6600
3.	Assistant Geologist	04	8000-275-13500	PB-3	Rs.15600-39100 Grade pay -5400

By Order,

UTPAL KUMAR SINGH,
Chief Secretary.

पी0एस0यू0 (आर0ई0) 04 लोक निर्माण/294–2011–100+200 (कम्प्यूटर/रीजियो)।